न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 297 / 2021 निर्णय दिनांक :–05.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. ओमप्रकाश पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2. गोविन्दचन्द पुत्र कैलाश जाति तेली निवासी नगर तहसील दूनी / नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. राजेश पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी रघुनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
4. प्रदीप पुत्र कन्हैयालाल जाति तेली निवासी जालिमगंज तहसील नगर जिला टोंक राज0
5. सरजूदेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति तेली निवासी जालिमगंज तहसील नगर जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी / नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर.एक्ट बाबत दुरूस्तीकरण खसरा नम्बर एंव नक्शा सीट तरमीम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 व जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 अनुसार खसरा नं0 921 रकबा 0.23 है0 खसरा नं० 2655 / 921 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2657 / 921 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 957 रकबा 0.02 है0, खसरा नं० 2658 / 957 रकबा 0.06 है0, खसरा नं० 2656 / 957 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नगर पह0 नगर तहसील दूनी जिला टोंक राज० में स्थित है जिसका राजस्व नक्शा सीट में भी उक्त खसरा

नंम्बर की तरमीम है। तरमीम शुदा नक्शा सीट की तत्कालीन पटवारी से प्राप्त कर रखी है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान उक्त रकबा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि एवं अन्य भूमियों का प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य विभाजन होकर निर्णय/डिक्री मिसल नं0 46/2013 दिनांक 28.09.2007 के अनसार विभाजन होकर मुताबिक कुरेजात अनुसार व डिक्री अनुसार भूमियों का रकबा एवं नक्शा सीट में अमल दरामद हुआ है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान का जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 व जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में भूमियों का खसरा नम्बर एवं नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम सहित ही इसके बाद आगे बनने वाली रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2074 में प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के उक्त खसरा नम्बर व नक्शा सीट में तरमीम तो राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटी के कारण उक्त भूमि खसरा नं0 921 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 2655/921 रकबा 0.04 है0, खसरा नं० 2657/921 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 957 रकबा 0.02 है0. खसरा नं0 2658/957 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2656/957 रकबा 0.10 है0 में से खसरा नं० 2655/921 रकबा 0.04 है0 के गलत खसरा नं० 2671/921 रकबा 0.04 है0 को खसरा नं0 2657/921 रकबा 0.26 है0 के गलत खसरा नं० 2685/921 रकबा 0.26 है0. खसरा नं0 2658/957 रकबा 10. 06 है0 के गलत खसरा नं० 2686/957 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नं० 2656 / 957 रकबा 0.10 है0 के गलत खसरा नं० 2684/957 रकबा 0.10 है0, इन्द्राज कर दिया गया एवं इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी से उक्त खसरा नम्बर की पूर्व नक्शा सीट में तरमीम से भिन्न/विपरित जाकर नयी बनने वाली नक्शा सीट में उक्त खसरा नं0 921 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 2655/921 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2657/921 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 1957 रकबा 0.02 है0, खसरा नं० 2658/957 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0

2656/957 रकबा 0.10 है0 की तरमीम गलत कर दी गयी / तरमीम इन्द्राज गलत कर दिया गया। जबकि आगे बनने वाली रोटेशन जमाबन्दी में भी पूर्व जमाबन्दी अनुसार प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के खसरा नम्बर का सही इन्द्राज होना चाहिए था एवं पूर्व की नक्शा सीट में तरमीम शुदा नक्शा सीट का भी नई बनने वाली नक्शा सीट में पूर्व सीट अनुसार ही तरमीम होना चाहिए था। प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज एवं गलत तरमीम की तब जानकारी हुई जब हाल ही राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्राप्त किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट बाबत है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अन्य सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र दुरूस्तीकरण खसरा नम्बर व नक्शा सीट में तरमीम बाबत है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदारान से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। उक्त आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में दर्ज खसरा नं० 2671/921 रकबा 0.04 है0 के बजाय सही खसरा नं0 2655/921 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2685/921 रकबा 0.26 है0 के बजाय खसरा नं0 2657/921 रकबा 0.26 है0, खसरा नं० 2686/957 रकबा 0.06 है0 के बजाय खसरा नं० 2658/957 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नं० 2684/957 रकबा 0.10 है0 के बजाय खसरा नं० 2656/957 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नगर प0ह0 नगर तहसील दूनी जिला–टोंक इन्द्राज करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तीकरण/शुद्धिकरण किया जावे एवं इसी प्रकार उक्त खसरा नं0 921 रकबा 0.23 है0, खसरा नं० 2655/921 रकबा 0.04 है0, खसरा नं० 2657/921 रकबा 026 है0 खसरा नं0 957 रकबा 0.02 है0, खसरा नं० 2658/957 रकबा 0.06 है0, खसरा नं० 2656/957 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नगर पह० नगर तहसील

दूनी जिला–टोंक राज0 में पूर्व की नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम अनुसार/उक्त खसरा नम्बर की पूर्व में आयी हुई विभाजन के बाद में कुरेजात अनुसार नई बनी हुई नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में दुरूस्तीकरण/शुद्धिकरण इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–बिन्दू सं.1 संलग्न रिकॉर्ड के प्रमाणित है प्रार्थी मोके पर जिस प्रकार काश्त कर रहे है, स्वयं प्रमाणित करे। बिन्दू सं. 2 माननीय न्यायालय कि मिसल सं. 46/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 28–9.2007 एवं संलग्न रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। बिन्दू सं. 3 रिकोर्ड का सेग्रीगेसन किया जाकर रिकार्ड ऑन लाईन हो चुका है एवं नक्शा शीट तथा जमाबंदी की वन टू वन मेपिंग होकर रिकार्ड में खसरा नम्बर दर्ज जो चुका है जो सही है। खसरा नम्बरो पुराने रिकार्ड के अनुसार परिवर्तन करना अस्वीकार है। क्योंकि खसरा नम्बरो में परिवर्तन करते ही रिकार्ड में और अधिक गलतिया होने की सम्भावना होगी। श्रवणी पुत्री मोडू के खसरा नम्बर 957 रकबा 0.02 है0 की तरमीम का अंकन डिजीटल नक्शा शीट में कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार किया जाना स्वीकार है। इसी प्रकार राजेश पुत्र रंगलाल वगै: के खसरा नम्बर 921 रकबा 0.23 है0 की तरमीम का अंकन डिजिटल नक्शा शीट में कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त किया जाना स्वीकार है। इसी 2671/921 रकबा 0.04 है0 सरजू देवी वगै: खसरा नम्बर 2685/921 रकबा 0.26 है0 बाबूलाल पुत्र नाथूलाल की तरमीम की कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त किया जाना स्वीकार है। बिन्दू सं. 4 कानूनी है जो न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दू सं. 5 कानूनी है जो न्यायालय से सम्बंधित हैविशेष – प्रार्थीगणो द्वारा वर्तमान जमाबंदी मे परिवर्तन किये जाने

का अनुतोष अस्वीकार है तथा बिन्दू संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर 957, 921, 2671/921, 2685/921 की वर्तमान डिजिटल शीट मे तरमीम कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त किया जाना स्वीकार है। इससे पूर्व प्रभावित खातेदारान की सुनवाई किया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार नगरफोर्ट को बिन्दूवार व मौके अनुसार पुनः रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट ने पत्रांक भू.अ./2024/176 दिनांक 9.2.24 से रिपोर्ट पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार हैः–

1. बिन्दु सं. 1 में प्रार्थीगण द्वारा बताया गया की जमाबन्दी संवत 2063–66 व संवत 2067–70 के अनुसार ख0न0 921 रकबा 0.23 है0, ख0न0 2655/921 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 2657/921 रकबा 0.26 है0, ख0न0 957 रकबा 0.02 है0, ख0न0 2658/957 रकबा 0.06 है0, ख0न0 2656/957 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नगर प0ह0 नगर में स्थित है। जिसका राजस्व नक्शा सीट में भी उक्त खसरा नम्बर की तरमीम है। जो की प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान उक्त रकबा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर काशत कर रहे है। यह स्वीकार है।
2. बिन्दु सं. 2 उक्त भूमि का प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य विभाजन होकर निर्णय/डिक्री मिसल नं. 46/2013 दिनाक 28.09.2007 के अनुसार विभाजन होकर मुताबिक कुरेजात अनुसार व डिक्री अनुसार भूमियों का रकबा एवं नक्शा शीट में अमल दरामद हुआ है। यह स्वीकार हैं।
3. बिन्दु सं. 3 में प्रार्थीगण द्वारा सहवन से गलत तरमीम व लिपिकीय त्रुटी के कारण गलत खसरा नम्बर दर्ज होना बताया है उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्तमान में ऑनलाईन नक्श में न्यायालय निर्णय अनुसार तरमीम नहीं हो रही है यह स्वीकार है जबकी खसरा नम्बर, सेग्रीगेसन के समय स्वतः ही नये

बटा नम्बर कम्प्यूटर द्वारा लिए गये है जिसमे मूल नम्बर व रकबा नहीं बदला है। नये बटा नम्बर से प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान का किसी प्रकार का अहित नहीं हो रहा है।

4. बिन्दु सं. 4 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली के क्षेत्राधिकार का है।

5. बिन्दु सं. 5 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली के क्षेत्राधिकार का है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा नये खसरा नम्बर के स्थान पर पुराने खसरा नम्बर दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र में कहा है जो संभव नहीं है। क्योकि नये ख0न0 2671/921 रकबा 0.04 है0, ख0न0 2685/921 रकबा 0.26 है0 ख0न0 2686/957 रकवा 0.06 है0, ख0न0 2684/957 रकबा 0.10 है0 कम्प्यूटर द्वारा सेग्रीगेसन के समय ऑनलाईन रिकार्ड करते अन्य लिये गये है। जिसमे किसी भी खसरा नम्बर का मूल नम्बर व रकबा नहीं बदला है। तरमीम के सम्बन्ध में निवेदन है कि वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में तरमीम कब्जे एवं निर्णय डिक्री अनुसार नहीं है जिसको दुरूस्त किया जाना स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति नक्शा ट्रेस प्राथमिक डिकी के समय की, में तत्समय खसरा नम्बर 957 रकबा 006 है0 राजेश वगै0 का हरा रंग 2 जगह भरा हुआ है जबकी खसरा नम्बर एक ही दिया गया है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2686/257 रकबा 0.06 है0 है। जबकी उक्त खसरा नम्बर के रकबा 0.03 है0 व रकबा 0.03 है0 के 2 खसरा नम्बर होने चाहिए तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर के साथ-साथ किया जाना सम्भव है। प्रत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने के निवेदन के साथ जवाब प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थीगण की हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में दर्ज खसरा नं० 2671/921 रकबा 0.04 है0 के बजाय सही खसरा नं0 2655/921 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 2685/921 रकबा 0.26 है0 के बजाय खसरा नं0 2657/921 रकबा 0.26 है0, खसरा नं० 2686/957 रकबा 0.06 है0 के बजाय खसरा नं० 2658/957 रकबा 0.06 है0 एवं खसरा नं० 2684/957 रकबा 0.10 है0 के बजाय खसरा नं० 2656/957 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नगर प0ह0 नगर तहसील दूनी जिला–टोंक इन्द्राज करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तीकरण/शुद्धिकरण किया जावे एवं इसी प्रकार उक्त खसरा नं0 921 रकबा 0.23 है0, खसरा नं० 2655/921 रकबा 0. 04 है0, खसरा नं० 2657/921 रकबा 026 है0 खसरा नं0 957 रकबा 0.02 है0, खसरा नं० 2658/957 रकबा 0.06 है0, खसरा नं० 2656/957 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नगर पह० नगर तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 में पूर्व की नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम अनुसार/उक्त खसरा नम्बर की पूर्व में आयी हुई विभाजन के बाद में कुरेजात अनुसार नई बनी हुई नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में दुरूस्तीकरण/शुद्धिकरण इन्द्राज करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में कजोड़, दशरथ पिता केसरा के नाम ख. नं. 923 रकबा 0.27 है0 व ख. नं. 2655/921 रकबा 0.04 है0 न्यायालय की डिकी अनुसार द्वारा दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में ख. नं. 923 रकबा 0.27 के साथ ख. नं. 2655/921

रकबा 0.04 है0 के स्थान पर ख. नं. 2671/921 दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में न्यायालय की डिक्री अनुसार कालू, ग्यारसीलाल काना हीरा पि. आणन्दा माली के ख. नं. 956 रकबा 0.10 है, 2656/957 रकबा 0.10 है0, 958 रकबा 0.11 है0 दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में ख. नं. 956 रकबा 0.10 है, 958 रकबा 0.11 है0 के साथ ख. नं. 2656/957 रकबा 0.10 है0, के स्थान पर ख. नं. 2684/957 दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में न्यायालय की डिक्री अनुसार बाबूलाल पुत्र नाथूलाल खटीक के ख. नं. 922 रकबा 0.05 है, 2657/921 रकबा 0.26 है0 दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में ख. नं. 922 रकबा 0.05 है0, के साथ 2657/921 रकबा 0.26 है0, के स्थान पर ख. नं. 2685/921 दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में न्यायालय की डिक्री अनुसार राजेश ओमप्रकाश पि0 रंगलाल गुजर नि0 रघुनाथपुरा तह0 उनियारा गोविन्द चन्द पुत्र कैलाश तेली सा. नगरा के ख. नं. 921 रकबा 0.23 है0, 2658/957 रकबा 0.06 है0 दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में ख. नं. 921 रकबा 0.23 है0, के साथ 2658/957 रकबा 0.06 है0, के स्थान पर ख. नं. 2686/957 रकबा 0.06 है0 दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार न्यायालय की डिक्री अनुसार ख. नं. 921 की तरमीम दिनांक 29.12.09 के अनुसार ख. नं. 855 के पश्चिम की ओर है जबकि नयी नक्शा ट्रेस अनुसार में ख. नं. 855 के पश्चिम में ख. नं. 2671/921 के पिछे पश्चिम की ओर है। ख. नं. 957, ख. नं. 855 के अडवा पूर्व की ओर तिकोने रूप में जबकि हाल नक्शा ट्रेस में ख. नं. 855 के अड़वा आयताकार रूप में है। डिक्री अनुसार नक्शा सीट में ख. नं. 2655/921 रास्ते के पश्चिम की ओर ख. नं. 921 व 2657/921 के पिछे की ओर है परन्तु 2655/921 से बने गलत ख. नं. 2671/921 ख. नं. 855 के अड़वा ही

दर्शाये गये है। इसी प्रकार डिकी अनुसार नक्शा सीट में ख. नं. 2657/921 रास्ते के पश्चिम की ओर ख. नं. 921 के पिछे की ओर है परन्तु 265/921 से बने गलत ख. नं. 2685/921 ख. नं. 855 के अड़वा ही पश्चिम की ओर दर्शाये गये है। इसी प्रकार डिकी अनुसार नक्शा सीट में ख. नं. 2658/957 रास्ते के पूर्व की ओर अड़वा उपर की ओर है परन्तु 2658/957 से बने गलत ख. नं. 2686/957 ख. नं. 855 के पूर्व की ओर अड़वा ख. नं. 2684/957 की ओर दर्शाये गये है। इसी प्रकार डिकी अनुसार नक्शा सीट में ख. नं. 2656/957 ख. नं. 855 के पूर्व तिकोने रूप में है परन्तु 2655/921 से बने गलत ख. नं. 2684/957 ख ख. नं. 855 ख. नं. 2686/957 के उपर की ओर दर्शाये गये है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसीलदार व तहसीलदार के अधीनस्थ कार्मिको द्वारा खसरा नम्बर परिवर्तन व तरमीम बिना किसी आधार सहवन से अथवा त्रुटिवश गलत कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थीगण की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जबकि प्रार्थीगण न्यायालय की बनी अन्तिम निर्णय डिकी अनुसार काबिज काश्त है।

अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में जो ख. नं. अंकित है, उनको रकबे सहित यथावत रखा जावे व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली से जारी अन्तिम निर्णय डिकी दिनांक 28.09.2007 में जारी नक्शे अनुसार वर्तमान खसरा नम्बरो के रकबे की हाल नक्शा शीट में तरमीम करे । तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट/पत्रांक भू.अ./2024/176 दिनांक 9.2.24 में उल्लेखित खसरा नम्बर 2686/257 रकबा 0.06 है0 के लिए लिए 0.03 है0 का मूल नम्बर व शेष 0. 03 है0 का नया नम्बर सृजित कर पूर्व में न्यायायल निर्णय के अनुसार

सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में अमल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 05.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली